



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2012/फाल्गुन 26, 1933

No. 405]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2012/PHALGUNA 26, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2012

का.आ. 452(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 की द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के क्रमशः स्तंभ (1) और स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट सेक्शन के, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट सड़क खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	किमी में सड़क खंड
(1)	(2)	(3)	(4)
87	9, 109	उत्तराखंड राज्य में उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा-रूद्रपुर-काठगोदाम (रामपुर-काठगोदाम खंड का)	किमी 43.30 से किमी 88.00
24बी	30	लखनऊ-रायबरेली	किमी 04.700 से किमी 70.000
56	731	लखनऊ- सुलतानपुर	किमी 11.500 से किमी 134.700
87	9	रामपुर- बिलासपुर उत्तर प्रदेश /उत्तराखंड सीमा (रामपुर-काठगोदाम खंड का)	किमी 0.000 (सारा-24 का किमी 190.106) से किमी 43.30
235	334	उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ-बुलंदशहर खंड	किमी 7.469 से किमी 66.482

[फा. सं. एन.एच.-14013/1/2012-पी.एंड.एम.]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2012

S.O. 452(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, as specified in column (4) of the following Table, of the section as specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the old National Highway number and the new National Highway number as specified in the corresponding entry in columns (1) and (2) respectively of the Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

Old National Highway No.	New National Highway No.	Section.	Stretch in kilometers.
(1)	(2)	(3)	(4)
87	9, 109	Uttar Pradesh/ Uttarkhand Border- Rudrapur-Kathgodam (of Rampur-Kathgodam Section) in the State of Uttarakhand	From Km. 43.30 to Km. 88.00
24B	30	Lucknow-Raebareli	From Km. 04.700 to Km. 70.000
56	731	Lucknow-Sultanpur	From Km. 11.500 to Km. 134.700
87	9	Rampur- Bilaspur Uttar Pradesh/Uttarakhand Border (of Rampur- Kathgodam Section)	From Km. 0.000 (Km. 190.106 of NH-24) to Km.43.30
235	334	Meerut- Bulandshahar in the state of Uttar Pradesh	From Km. 7.469 to Km. 66.482

[F.No.NH-14013/1/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2012

का.आ. 453(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 और 24 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 [किमी 152.00 से किमी 218.200 तक को छोड़कर (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा से हरिद्वार से नेपाली फार्म खंड तक) और किमी 228.00 से किमी 524.000 तक], सं. 72 [किमी 165.000 से किमी 196.825 तक को छोड़कर (नेपाली फार्म-देहरादून खंड)], सं. 72ए, सं. 73, सं. 74, सं. 87 [सिमली से कर्ण प्रयाग तक के खंड (7.00 किमी) और किमी 43.30 से किमी 88.00 तक के खंड (रामपुर से काठगोदाम तक) (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) को छोड़कर], सं. 94 (किमी 123 से किमी 218 तक धारासु से यमनोत्री के समीप कुथनोर), सं. 119, सं. 121, सं. 123 और सं. 125 (टनकपुर से पिथौरागढ़ तक के खंड को छोड़कर) का उतना भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है।	उत्तराखंड राज्य सरकार
24	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2ए, सं.7, सं.11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं.19, सं.24 [किमी 27.62 से किमी 488.27 (हापुड तथा मुरादाबाद बाइपासों सहित गाजियाबाद - मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ) तक खंड को छोड़कर और किमी 180.325पर आरओबी], सं.24ए, सं.27 [किमी 0.000 (सरा सं.2 के किमी 211.700) से किमी 5.410 (सरा 27 के नए संरेखण) तक खंड को छोड़कर], सं.28बी, सं.29 [गोरखपुर-फर्रुखाबाद-सोनोली खंड और किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी-गोरखपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं.56[किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ-सुलतानपुर) तक खंड को छोड़कर], सं.58 [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर - उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं.72ए, सं.73, सं.74, सं.75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी तक) तक खंड को छोड़कर], सं.76, सं.86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], सं.87 [किमी 0.000 (सरा-24 के किमी 190.106) से किमी 43.30 (रामपुर-काठगोदाम खंड)(उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा)] और किमी 8 पर लघु सेतु तथा किमी 30.050 पर बड़े सेतु को छोड़कर], सं. 91[किमी 23.600 से किमी 419.000	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार".

	(गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं.91ए, सं.92, सं.93 [किमी 0.00 से किमी 79.00 (आगरा-अलीगढ़ खंड) तक खंड को छोड़कर], सं.96, सं.97, सं.119, सं. 231[किमी 0.720 से किमी 169.600 (रायबरेली - जौनपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 232ए [किमी 0.500 से किमी 66.000 {उन्नाव - तालगंज (सारा 232)} तक खंड को छोड़कर], सं. 233 और सं. 235 [किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-बुलंदशहर) तक खंड को छोड़कर] का उतना भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है।	
--	---	--

[फा. सं. एन.एच.-14013/1/2012-पी.एंड.एम.]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार सं. का.आ. 271(अ), 14 फरवरी, 2012 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2012

S.O. 453(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 23 and 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"23	So much of National Highways No. 58 [excluding from Km. 152.00 to Km. 218.200 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border to Haridwar to Nepali Form section) and from km. 228.00 to Km. 524.000], No. 72 [excluding from Km. 165.000 to Km. 196.825 (Nepali Farm - Dehradun Section)], No. 72A, No. 73, No. 74, No. 87 [excluding (from Simli to Karna Prayag (7.00Km) and from km. 43.30 to km. 88.00(Rampur to Kathgodam) (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)], No. 94 (from Km. 123 to Km. 218 Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri), No. 119, No. 121, No. 123 and No. 125 (excluding the stretch from Tanakpur to Pithoragarh) as are situated within the State of Uttarakhand.	State Government of Uttarakhand
24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - Uttar Pradesh/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from km. 27.62 to km. 488.27 (Ghaziabad - Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses) and R.O.B. at km. 180.325], No.24A, No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No.29 [excluding Gorakhpur-Pharenda-Sonauli section and from km. 2.225 to km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur section), No.56[excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (Lucknow-Sultanpur)], No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No.72A, No.73, No.74, No.75 [excluding from km 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar	State Government of Uttar Pradesh".

	Pradesh border to Jhansi)], No.76, No.86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai section)] , No 87 [excluding from Km. 0.000 (Km. 190.106 of NH-24) to Km.43.30{ Rampur-Kathgodam Section)(Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)} and a Minor bridge at Km. 8 and a Major bridge at km. 30.050), No. 91[excluding from km. 23.600 to km. 419.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur section)], No.91A, No.92, No.93 [excluding from km. 0.00 to km. 79.00 (Agra- Aligarh section), No.96, No.97, No.119, No. 231[excluding from km 0.720 to Km. 169.600 (Raibareli - Jaunpur)], No. 232 A [excluding from km. 0.500 to km. 66.000 {Unnao - Lalganj (NH 232)}, No. 233 and No. 235 [excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meetut- Bulandshahar)] as are situated within the State of Uttar Pradesh.	
--	---	--

[F.No. NH-14013/1/2012-P&M]

MAYAPRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 271(E), dated the 14th February, 2012.

864 47/12-2